International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

संवैधाानिक अधिकार एवं कानूनों के प्रति महिलाओं की जागरुकता का अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

मयूर निखोरिया[1], डॉ. जगदीशचन्द्र सिन्हा[2]

[1]शोधकर्ता, [2]प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,झाबुआ

सार:
भारत में विभिन्न प्रदेशों की स्थिति को अगर देखा जाऐ तो कुछ राज्य शीर्ष पर हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्धप्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम, महिलाओं के प्रति ज्यादा अपराध घटित हो रहे हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानून निर्मित किए जा रहे हैं। किन्तु जब तक महिलाओं की जागरुकता में कोई सुधार नहीं आयेगा ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि हर समस्या का समाधान संवैधाानिक अधिकार एवं कानूनों के प्रति महिलाओं की जागरुकता से हो सकता है। इसीलिए प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं कानूनों के प्रति कितनी जागरुक हैं इसका अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया गया है। समंक प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से एकत्र किए गए है। नमूना आकार सरल यादृच्छिक तकनीक के साथ चयनित क्षेत्र में 40 महिला उत्तरदाताओं से लिया गया है।

शब्द कुंजीः संवैधाानिक अधिकार, कानून, महिला जागरुकता, वर्तमान परिवर्तन, भारतीय समाज।

• परिचय

भारत में महिलाओं पर अत्याचार की सदियों से चली आ रही एक लंबी और सतत् परंपरा रही है। सुदूर अतीत में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इसके बाद पितृसत्ता ने भारत में महिलाओं को उनकी उचित स्थिति से वंचित कर दिया। वैदिक काल में नारी को सम्मानित स्थान दिया गया था। वह अपने पति के घर की स्वामिनी थी। कौटिल्य के समय बाल विवाह भी बढ़ रहे थे, विशेषकर 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच। लेकिन, पुनर्विवाह और तलाक की अनुमति थी। यहाँ तक कि एक पत्नी अपने पति की संपत्ति केवल बेटे की अनुपस्थिति में ही प्राप्त कर सकती थी। वह अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकती थी या उसका निपटान नहीं कर सकती थी, जो उसकी मृत्यु पर पति के अन्य उत्तराधिकारियों को वापस मिल जाती। हालाँकि, वह स्त्रीधन की हकदार थी, जो कि उसके माता–पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई संपत्ति, प्राप्त उपहार आदि थे, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार था। उसकी मृत्यु पर यह उसकी महिला उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगा।

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनमें अत्यधिक गरीबी में रहने वाली महिलाएँ, निराश्रित महिलाएँ, संघर्ष की स्थिति में रहने वाली महिलाएँ, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित महिलाएँ, कम विकसित क्षेत्रों की महिलाएँ, विकलांग विधवाएँ, बुजुर्ग महिलाएँ, कठिन परिस्थितियों में अकेली महिलाएँ, घर चलाने वाली महिलाएँ, रोजगार से विस्थापित महिलाएँ, प्रवासी महिलाएँ जो वैवाहिक हिंसा

की शिकार हैं, परित्यक्त महिलाएँ और वेश्याएँ शामिल हैं। ये महिलाएँ कठिन परिस्थितियों में हैं जो उनकी स्वयं की बनाई हुई नहीं हैं।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929, हिंदू महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 और हिंदू महिलाओं के लिए अलग निवास और भरण–पोषण का अधिकार अधिनियम 1946 कुछ ऐसे उपाय थे, जिनका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। लेकिन दुर्भाग्य से, हाल के दिनों में बलात्कार के मामले अधिक आम हो गए हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अत्याचारों से निपटने के लिए कानून में कई तरह की कड़ी सजाओं का प्रावधान किया गया है। इन अधिनियमों ने, कुछ हद तक, भारत में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुरक्षित करने में सक्षम बनाया है; खासकर हिंदू महिलाओं के मामले में।

हिंदू विवाह अधिनियम के रूप में महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसने महिलाओं को आपसी सहमति से तलाक का अधिकार दिया। ऐसे कानून के बावजूद यह मानना होगा कि हमारे देश में तलाक के मामले कम ही होते हैं।

कानून के तहत महिलाएँ समान काम के लिए पुरुषों के समान वेतन की हकदार हैं। वे मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ के भी हकदार हैं। आज हम देखते हैं कि महिलाओं ने कामकाज के सभी क्षेत्रों में सम्मानजनक स्थान हासिल कर लिया है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर दिन–व–दिन बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। यद्यपि संविधान और कानून के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं ताकि वे देश के प्रशासन में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें, लेकिन आज भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं ळें

विधानसभाओं और संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर चुनाव के साथ घटता जा रहा है और 10 प्रतिशत से अधिक नहीं रह गया है। चुनाव के दौरान बहुत कम लोगों को पुरुष उम्मीदवार के खिलाफ चुने जाने का मौका मिलता है। विशेष रूप से गांवों में, पुरुषों की आवाज प्रभावशाली होती है और वे महिलाओं को यह निर्देश देने में सक्षम होते हैं कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए। उनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं और अपने पतियों या पिता पर निर्भर हैं। जब तक महिलाएँ शिक्षित नहीं होंगी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगी और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेंगी , तब तक कोई भी महिला से बड़ी संख्या में देश के प्रशासन में सक्रिय भाग लेने की उम्मीद नहीं कर सकता है। यह अध्ययन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता का आकलन करता है।

- **अध्ययन के उद्देश्य**

1. महिला उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों का आकलन एवं जागरूकता का अध्ययन करना।

- **अनुसंधान क्रियाविधि**

समंक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्र किया गया है। अध्ययन में संभाव्यता नमूनाकरण विधि का उपयोग किया गया। इस अध्ययन के लिए खरगोन जिले के गाँवों से कुल 40 महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इसमें विभिन्न आयु समूहों, सामुदायिक समूहों, धार्मिक समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों आदि से महिला उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया गया है। समंक विश्लेषण गुणात्मक और मात्रात्मक

तरीके से किया गया है। इस संपूर्ण अध्ययन में शोधकर्ता ने नारीवादी अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया।

- **अनुसंधान डिजाइन**

अध्ययन में विश्लेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन को अपनाया गया। अध्ययन में कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता के स्तर का विश्लेषण किया गया है।

- **समंक संग्रह के लिए उपकरण**

प्राथमिक समंक

साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग समंक संग्रह के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है। प्राथमिक समंक ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से एकत्र किया गया है। साक्षात्कार कार्यक्रम में महिलाओं से सामाजिक–आर्थिक स्थिति, संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता के स्तर को शामिल किया गया है।

द्वितीयक समंक

प्रासंगिक पुस्तकों, पत्रिकाओं, सांख्यिकीय रिपोर्ट, वेबसाइट आदि से द्वितीयक समंक एकत्र किया गया है।

- **समंक विश्लेषण एवं व्याख्या**

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके किया गया है। महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जनसांख्यिकीय विशेषताओं और जागरूकता की व्याख्या करने के लिए आवृत्ति और प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का चयनित किसी भी गतिविधि में प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। संकेतक आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा स्तर और सामुदायिक समूह, धर्म और परिवार का व्यवसाय तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका–1

आयु के आधार पर महिला उत्तरदाताओं का वितरण

आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
30 वर्ष से कम	14	35 प्रतिशत
30 वर्ष –50 वर्ष	20	50 प्रतिशत
51 वर्ष से अधिक	06	15 प्रतिशत
कुल	**40**	**100 प्रतिशत**

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 35 प्रतिशत महिला उत्तरदाता 30 वर्ष से कम आयु वर्ग की हैं। 50 प्रतिशत महिला उत्तरदाता 31–50 वर्ष की हैं और 15 प्रतिशत महिला उत्तरदाता 50 से अधिक आयु वर्ग की हैं। उत्तरदाताओं में से 100 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

तालिका–2

शिक्षा के आधार पर महिला उत्तरदाताओं का वितरण

शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
निरक्षर	4	10 प्रतिशत
प्राथमिक शिक्षा	8	20 प्रतिशत

माध्यमिक शिक्षा	10	25 प्रतिशत
हाई स्कूल	12	30 प्रतिशत
स्नातक	4	10 प्रतिशत
केवल शिक्षित	2	5 प्रतिशत
कुल	**40**	**100 प्रतिशत**

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त आंकड़े महिला उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता को दर्शाते हैं। 40 उत्तरदाताओं में से, 10 प्रतिशत महिला उत्तरदाता निरक्षर हैं, 20 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है, 25 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने अपना मिडिल स्कूल स्तर पूरा कर लिया है, 30 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने अपना हाई स्कूल पूरा कर लिया है, 10 प्रतिशत ने अपना स्नातक धारक और 5 प्रतिशत केवल पढ़े–लिखे हैं।

तालिका 3

सामुदायिक समूह में महिला उत्तरदाताओं का वितरण

सामुदायिक समूह	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	20	50 प्रतिशत
अन्य	20	50 प्रतिशत
कुल	**40**	**100 प्रतिशत**

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि, 50 प्रतिशत महिला उत्तरदाता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और 50 प्रतिशत महिला उत्तरदाता अन्य (एमबीसी और ओबीसी) से हैं।

तालिका–4

संवैधाानिक अधिकार एवं कानूनों के प्रति महिलाओं की जागरुकता का वितरण

विवरण	**आवृत्ति**	
	हाँ	**नहीं**
संपत्ति के अधिकार के प्रति महिलाओं की जागरुकता	20	20
बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम – 1929 के प्रति महिलाओं की जागरुकता	32	8
दहेज निषेध अधिनियम – 1961 के प्रति महिलाओं की जागरुकता	32	8
घरेलू हिंसा अधिनियम – 2005 के प्रति महिलाओं की जागरुकता	28	12
शिक्षा एक मौलिक अधिकार है , के प्रति महिलाओं की जागरुकता	18	22
राज्य मानवाधिकार आयोग, के प्रति महिलाओं की जागरुकता	16	24
महिला अधिकार आयोग, के प्रति महिलाओं की जागरुकता	08	32
महिला पुलिस स्टेशन, के प्रति महिलाओं की जागरुकता	33	07
महिला एवं बाल विकास विभाग, के प्रति महिलाओं की जागरुकता	09	31
भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, के प्रति महिलाओं की जागरुकता	05	35

स्त्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि महिलाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं संवैधाानिक अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरुकता कम है। 50 प्रतिशत (20) उत्तरदाताओं को संपत्ति के अधिकारों के बारे में जानकारी है, 80 प्रतिशत (32) उत्तरदाताओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 और दहेज निषेध अधिनियम–1961 के बारे में जानकारी है, 70 प्रतिशत (28) घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जागरूकता है। 40 महिलाओं में से 45 प्रतिशत (28) उत्तरदाताओं को शिक्षा एक मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी है, 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राज्य मानवाधिकार आयोग और महिला एवं बाल विकास विभागों के बारे में जानकारी है, 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को महिला अधिकार आयोग के बारे में जानकारी है, 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी है और 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं को भारतीय संविधान द्वारा महिला सुरक्षा के बारे में जागरूकता है।

- **निष्कर्ष**

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएँ अपने अधिकारों, शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ हैं तथा वे सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी रूप से बहुत निचले स्तर पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारों, शिक्षा और सरकारी सेवाओं और उनकी स्थिति में सुधार के लिए योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रदान की जाती हैं। समय की मांग है कि महिलाएँ अपने अधिकारों को समझें और सतर्क रहें। महिलाएँ भारत का वर्तमान और भविष्य हैं। आज 21वीं सदी की दुनिया में महिलाएँ हर क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान हासिल कर चुकी हैं और उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ है, वे किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं हैं।

भारत का इतिहास महिलाओं के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति बनने तक का एक उल्लेखनीय इतिहास रहा है। महिलाएँ अब डॉक्टर, वकील और शीर्ष नौकरी के लिए सक्षम हैं। बिजनेस में भी ये ऊंचे पदों पर आसीन हैं। महिलाएँ पुलिस बल, वायु सेना में हैं और यहां तक कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना भी उनके बूते से बाहर नहीं है।

डॉ. बीख्आर अंबेडकर, पुले, राजाराम मोहन राय जैसे महान विचारकों के सार्वभौमिक ज्ञान विचारों के साथ सामाजिक परिवर्तन से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर विकास लक्ष्य भारत में तभी साकार हो सकता है जब समाज में सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया जाएगा। तभी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण वास्तविकता बन सकता है। "महिलाएँ अकेले समस्याओं का समाधान नहीं कर सकतीं। महिलाओं को पुरुषों को समझना चाहिए और पुरुषों को महिलाओं को समझना चाहिए।" इस खतरे को खत्म करने के लिए दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। यह सामाजिक कार्यकर्ताओं के कंधों पर दबाव और भारी जिम्मेदारी पैदा कर रहा है। हालाँकि, सभी अधिकारों को समझने और लाभ लेने के लिए महिलाओं को स्वयं सशक्त और जिम्मेदार होने की तत्काल आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. Ministry of Home Affairs, (2013) Government of India, Indian Penal Code, New Delhi.
2. Mishra A. My story. The Week. 1999;17:38–43.
3. Naseem Ahmad Khan, (2013) Women Security and Legal Safeguards in India, Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR), Volume 2, No.4.
4. National Commission on Population, (2000) National Population Policy 2000- Objectives, National Commission on Population, Government of India
5. National Crime Record Bureau, Crime in India, 1997, Ministry of Home Affairs. 2000

6. NCRB, (2011), Crime in India: Statistics-2011, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
7. Shashi, Krishan. (2008). Indian Democracy and Women's Human Rights, Madhya Pradesh Journal of Social Sciences.
8. Shayan Javeed and Anupam Manuhaar, (2013) Women and Wage Discrimination in India: A Critical Analysis, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 2 Issue 4.
9. Ranjithkumar, A (2020) Rural and Urban Disparities of Scheduled Caste Population: A Study with Special Reference to Viluppuram District, Tamil Nadu, Journal of Social Science Research, Vol. 16 (2020), pp.13-32,